न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 29 **दायर दिनांक : 22.02.2019**

1. प्रभूराम
2. भगवानाराम
3. रामचन्द्र

पिसरान श्री हीराराम जाति बैरागी निवासीयान संघर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. बिहारीलाल
2. भीमसैन
3. भंवरलाल

पिसरान श्री साहबराम जाति बाजीगर निवासी चक 14 एस.टी.बी. पालीवाला तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

4. राजस्थान सरकार जरिये पैरोकार मार्फत तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः

1. श्री शीशपाल शर्मा, अभिभाषक प्रार्थीगण सं. 1 ता 3
2. श्री राकेश कुमार मनचन्दा अप्रार्थीगण सं. 1 ता 3
3. पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ़ अप्रार्थी

निर्णय **दिनांक : 27/07/2020**

पत्रावली निर्णय के लिये प्रस्तुत हुई, पत्रावली का अवलोकन किया। संक्षिप्त तथ्य पत्रावली इस प्रकार है कि प्रार्थीगण प्रभूराम वगैरहा द्वारा चक 14 एस.टी.बी. तहसील सूरतगढ़ के पत्थर नम्बर 27/324 के किला नम्बर 11 में प्रवेश हेतू चक 14 एस.टी.बी. के पत्थर नम्बर 27/324 का किला नम्बर 20 व 21 के पश्चिमी पासा में दक्षिण से उत्तर दिशा में 1 बिस्वा चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के अन्तर्गत प्रार्थना इस आधार पर की कि प्रार्थीगण को अपने अंकित काश्त भूमि चक 14 एस.टी.बी. का पत्थर नम्बर 27/324 का कि.न. 1 ता 5 = 1.265 है. व कि.न. 10 में 0.025 है. कुल 1.290 है. प्रार्थी प्रभूराम, पत्थर नम्बर 27/324 का कि.न. 6 ता 9 = 1.012 है. व कि.न. 10 में 0.228 है. कि.न. में 0.013 है. कुल 1.253 है. भगवानाराम, पत्थर नम्बर 27/324 का कि.न. 11 में 0.240 है. कि.न. 12 ता 15 = 1.012 है. कुल 1.252 है. प्रार्थी रामचन्द्र के खेत में आने जाने हेतू पूर्व में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है, पूर्व में अप्रार्थी न. 1 ता 3 की स्वीकृति से वे नहर व वन विभाग की भूमि में होकर चक 14 एस.टी.बी. के पत्थर नम्बर 27/324 किला नम्बर 24, 25 से होकर पत्थर नम्बर 27/324 के किला नम्बर 11 तक आवाजाही कर रहे थे जिसे अप्रार्थीगण ने अब जबरन बंद कर दिया है वे रास्ता के बदले भूमि अप्रार्थीगण को देने को तैयार है एवं रास्ता स्वीकृति तुरन्त आवश्यक है इसलिये

लगातार पेज 2 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

रास्ता स्वीकृति करने की प्रार्थना की गई। प्रार्थना पत्र प्राप्ती पश्चात दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को तलब कर जवाब प्राप्त किये गये जिन्होनें पूर्व में अन्यत्र रास्ता होने से व वैकल्पिक अन्य रास्ता स्वीकृत किये जा सकने का तर्क देकर प्रस्तावित

रास्ता स्वीकृति का विरोध किया। प्रार्थना पत्र के तथ्यों कि विधि अनुसार सक्षम अधिकारी से जॉच करवाई गई। बाद साक्ष्य व जॉच पत्रावली में पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण के तर्क सुन गये।

अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र के अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण को अपने नाम अंकित काश्त भूमि वाके चक 14 एस.टी.बी. का पत्थर नम्बर 27/324 के किला नम्बर 1 ता 15 में आने जाने के लिये स्वीकृत रास्ते की सुविध प्राप्त नहीं है। काश्तशुदा भूमि हेतू रास्ता की अत्यन्तिक आवश्यकता है पूर्व में वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है, रास्ते में आयी भूमि हेतू मुआवजा या भूमि देने को तैयार है। रिपोर्ट सक्षम अधिकारी से ली रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंसा की गई है इसलिये पत्थर नम्बर 27/324 का किला नम्बर 1 ता 15 के किला नम्बर 11 में प्रवेश हेतू पूर्व चलन नहर के पटडे के साथ पत्थर नम्बर 27/324 के किला नम्बर 20, 21 में 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने की प्रार्थना की। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी न. 1 ता 3 द्वारा इसका विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा सुझाया गया रास्ता स्वीकृत किया जाना कतई उचित नहीं क्योंकि पहुॅच हेतू रास्ता बहुत लम्बा है बीच में नहर की पटड़ी है जो नहर विभाग द्वारा नहर सुरक्षा हेतू निर्मित है यह रास्ता उपयोग हेतू नहीं है, इसी रास्ते में वन विभाग ने पेड़ लगाये है भूमि सिंचाई एवं वन विभाग के अधीन होने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया। आवश्यक पक्षकार ना बनाने से प्रार्थना पत्र निरस्ती योग्य बताया साथ ही रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन करवाकर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के नाम अंकित कृषि भूमि वाके चक 14 एस.टी.बी. का पत्थर नम्बर 27/324 में समीपस्थ रास्ता पत्थर नम्बर 27/323 के किला नम्बर 1 ता 5 में पूर्व में स्वीकृत है स्वीकृत रास्ते से ही आगे पत्थर नम्बर 27/324 के किला नम्बर 1 ता 15 हेतू रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित है जिसके लिये चक 14 एस.टी.बी. के पत्थर नम्बर 27/323 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 के अंकित काश्तकारों को पक्षकार बनाकर रास्ता स्वीकृत करवाया जा सकता है, जिसकी अनुशंसा सक्षम अधिकारी द्वारा भी की गई है जिसमें स्वीकृत रास्ता पत्थर नम्बर 27/324 से प्रार्थीगण की भूमि मात्र 825 फुट की दूरी पर स्थित है एवं स्वीकृत रास्ता को ही आगे बढ़ाये जाने का तर्क दिया साथ ही निवेदनन किया कि गांव से प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता मुरब्बा दूर है व सक्षम अधिकारी द्वारा सुझाया गया रास्ता मात्र 825 फुट दूरी पर है जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र में चाहा गया रास्ता 4 मुरब्बा दूरी पर स्थित है। नहर के कच्चे पटड़े पर रास्ता की सुविधा की दृष्टि से भी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकृति योग्य नहीं है, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा मांगा गया रास्ता स्वीकृत होने से प्रार्थीगण की भूमि दो भागों में बट जायेगी वा प्रार्थीगण कमजोर वगै से है अप्रार्थीगण अनुसूचित जाति के निर्धन छोटे लघु काश्तकार है मात्र

लगातार पेज 3 पर.....

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

राजनैतिक व सामाजिक दृष्टि से रंजिश वश ही अप्रार्थीगण की भूमि से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है जो स्वीकृति योग्य नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा अपने बहस के समर्थन में न्याय निर्णय पेश किये:–

(1) आर.आर.टी. 2018 (2) पेज 1402 (2) आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1210 (3) आर.आर. टी. 2016(2) पेज 1149 (4) आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1098 (5) आर.आर.टी. 2016(1) पेज 440 (6) आर.आर.टी. 2003(1) पेज 27

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात दिनांक 05.03.2020 को पटवारी हल्का को साथ लेकर उक्त रास्ता का मौका देखा गया जिसका फर्द मौका भी तैयार किया गया जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली में निर्णय ना हो पाने के कारण दिनांक 16.07.2020 को पुनः पक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिनके तर्कों के परिपेक्ष्य में तमाम पत्रावली वा प्रस्तुत साक्ष्य का गहन पठन व मनन करने के पश्चात पाया कि वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम अंकित भूमि में आवागमन हेतू सुविधा पूर्ण रास्ता उपलब्ध नहीं है किन्तु प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता जॉच में उपयुक्त सक्षम अधिकारी एवं स्वयं अधोहस्ताक्षरकर्त्ता द्वारा नहीं पाया गया क्योंकि प्रथमतः इस रास्ता को स्वीकृत करने पर नहर की पटड़ी एवं वन भूमि को प्रभावित करना होगा जिसमें नहर को नुकसान पहुॅचने की पूर्ण सम्भावना है इसमें नहर की पटड़ी में कटाव हो सकता है व आवागमन हेतू पटड़ी की चौड़ाई कम होने से जान माल को क्षति तो हो सकती है पटड़े पर कृषि यंत्रों के आवागमन से कच्चा नहर का पटड़ा भी क्षतिग्रस्त हो सकता है इसके अतिरिक्त प्रभावित पक्षकार को प्रार्थना पत्र में पक्षकार भी नहीं बनाया गया। पूर्व में स्वीकृत शुदा रास्ता चक 14 एस.टी.बी. पत्थर नम्बर 27/323 के किला नम्बर 1 ता 5 में समीपस्थ रास्ता को पत्थर नम्बर 27/323 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 तक (इन किलाजात के पश्चिमी पासा में) रास्ता बढ़ाये जाने पर प्रार्थीगण को रास्ता उपलब्ध हो सकता है जिसका प्रस्ताव तहसीलदार सूरतगढ़ द्वारा दिया गया है इस अदालत द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण करने पर भी यह उचित प्रतीत होता है इसमें सम्बंधित पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्याय उद्धरण में रास्ता स्वीकृति हेतू सिद्धांत दिये गये है। किन्तु वर्तमान प्रकरण में आवश्यक व प्रभावित पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रभावित पक्षकार का पक्ष सुने बिना रास्ता स्वीकृत किये जाने का न्याय निर्णय स्वयं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्याय के उद्धरण आर.आर.टी. 2016(1) पेज 440 में भी समीपस्थ रास्ता स्वीकृति का निर्देश राजस्व मण्डल द्वारा पारित किया हुआ है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रभावित पक्षकार को पक्षकार ना बनाने एवं वर्तमान प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ता अनुपयुक्त व समीपस्थ ना होने से व जॉच अधिकारी द्वारा सुझाया गया ओर इस अदालत द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण करने पर यह रास्ता प्राथमिक रूप से समीपस्थ होने व चालू रास्ते से मात्र 825 फुट दूर होने से समीपस्थ रास्ता सिद्ध होने से वर्तमान प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण निरस्त कर प्रार्थीगण को समीपस्थ प्रभावित पक्षकारों को पक्षकार बनाकर पुनः प्रार्थना पत्र पेश करने की स्वीकृति देने के आदेश पारित किये जाते है।

हुक्म सुनाया गया पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.07.30 16:56:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: